कार्यालय संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश जिला कार्यालय, जबलपुर,
नरसिंहपुर म.प्र.ब्लॉक-15, सिविक सेंटर, मढ़ाताल, जबलपुर (म.प्र.)
Email-Id Jabalpur@mptownplan.gov.in Phone No. 0761-2401981

क्रमांक....13.../नग्रानि/स्था0/2023 जवलपुर, दिनांक.....11...../01/2023

विज्ञप्ति

कार्यालय संयुक्त संचालक नगर तथा ग्राम निवेश जिला कार्यालय जवलपुर पता- व्लाक 15, सिविक सेंटर, मढ़ाताल, जवलपुर (म.प्र.) कार्यालय की परिवहन व्यवस्था के लिए वाहन किराये पर लेने हेतु सीलवंद लिफाफे में निविदा आमंत्रित की जाती है। इच्छुक निविदाकर्ता द्वारा दिनांक 19.01.2023 सांय 4:30 वजे तक अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में निविदायें जमा की जायेगी, निर्धारित समय के पश्चात प्राप्त निविदायें स्वीकार नही होगी।

निविदा प्रपत्र अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में रुपये 200/- (शव्दो में दो सौ रुपये मात्र) ई- चालान साईवर ट्रेजरी शीर्ष क्रमांक 0217-60-800-0171 अन्य प्राप्तियां में जमा कर प्राप्त की जा सकती है एवं वाहन किराये पर लेने हेतु शर्ते इस कार्यालय में कार्यालीन समय में अवलोकन की जा सकती है एवं संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश भोपाल की website:-mptownplan.gov.in पर उपलव्ध है।

संयुक्त संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश
जवलपुर

कार्यालय संयुक्त संचालक नगर तथा ग्राम निवेश जिला कार्यालय जबलपुर (म0प्र0)

<u>वाहन किराये पर लेने हेतु शर्तेः-</u>

1. वाहन किराये पर देने हेतु अनुबंध के साथ रूपये 5000/- की प्रतिभूति एफ.डी./किसान विकास पत्र/इंदिरा विकास पत्र के रूप में कार्यालय में जमा करनी होगी। अनुबंध पूर्ण होने पर यह वापिस लौटा दिया जायेगा।
2. निविदा हेतु मासिक आधार पर वाहन किराये पर लिए जाने हेतु मुख्यालय पर अधिकतम 1000 किलोमीटर की सीमा को आधार माना जाए।
3. यह अनुबंध ग्यारह माह के लिए मान्य होगा, एवं उसे अधिकतम तीन वर्ष तक कार्यालय प्रमुख द्वारा बढ़ाया भी जा सकता है।
4. परिवहन नियमों का उल्लघंन कर वाहनों के संचालन या किसी वाहन दुर्घटनाग्रस्त होने जैसी वैधानिक स्थितियों में किसी भी प्रकार का जुर्माना की राशि भरने या अन्य कोई कार्यवाही होने के लिए या कार्यालय जिम्मेदार नही होगा।
5. वाहन मध्यप्रदेश राज्य में आर.टी.ओ. कार्यालय में टैक्सी कोटे में पंजीकृत होनी चाहिए। वाहनो के स्वामित्व के संबंध में किसी प्रकार का विवाद नही होना चाहिए।
6. अनुबंध अवधि के दौरान यदि पेट्रोल/डीजल के दामो में वृद्धि होती है, तो निविदा में दी गयी राशि एवं अवधि के दौरान अतिरिक्त कोई राशि देय नही होगी।
7. वाहन पूरे माह के लिए हर दिन बिना किसी अवकाश के सामान्यः प्रातः 9:30 बजे से शाम 7:30 बजे तक कुल 10 घंटे तक के लिए देना होगा रात को वाहन सेवा अवधि में वाहन कार्यालय में रहेगा, तथा वाहन खराब होने अथवा मरम्मत के लिए ले जाने की स्थिति में वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में उसी मॉडल का दूसरा वाहन उपलब्ध कराये जाने पर ही वाहन को छोड़ा जायेगा। वाहन मरम्मत का सम्पूर्ण व्यय वाहन प्रदायकर्ता द्वारा भुगतान किया जायेगा। इस पर कार्यालय कोई अतिरिक्त राशि नही देगा।
8. वाहनों के किलोमीटर की गणना संबंधित उपयोगकर्ता अधिकारी के द्वारा निर्धारित प्रपत्र अथवा विधिवत रूप से भरी गई लॉगबुक में हस्ताक्षर उपरांत ही मान्य होगा।
9. सभी वाहनो की कॉम्प्रीहेन्सिव बीमा, प्रदूषण मानक प्रमाण पत्र, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, कमर्शियल उपयोग हेतु शासन के नियमानुसार समस्त लायसेंस/प्रमाण पत्र, रोड टैक्स सर्विस टैक्स अदा करने उसे अद्यतन रखने की जिम्मेदारी एजेंसी/ट्रेवल्स/वाहन स्वामी की होगी।
10. वाहन से संबंधित मूल दस्तावेज वाहन के साथ रखना अनिवार्य होगा तथा उसकी एक छायाप्रति कार्यालय में जमा करनी होगी। वाहन जब्त होने की दशा में वाहन मालिक को सूचना देकर मासिक किराये का भुगतान कर दिया जायेगा।
11. यदि किसी विशेष कारणों से वाहन अथवा चालक किसी दिन उपलब्ध नहीं होता तो ऐसे हर दिवस की अनुपलब्धता के लिये देय राशि में से दोगुना प्रतिदिन की राशि निकाल कर उसकी कटौती कर दी जायेगी। लेकिन बार-बार पुनरावृत्ति होने पर धरोहर राशि जब्त कर अनुबंध को निरस्त कर दिया जायेगा।
12. वाहन में हमेशा टूल्स एवं स्टेपनी होना आवश्यक है। वाहन हमेशा सेल्फ स्टार्ट होना चाहिये एवं वाहन के चारों टायर टयूब अच्छी क्वालिटी व सुरक्षा के मानक के अनुसार होना अनिवार्य है।
13. वाहन किराये पर लेने हेतु तय नियमों एवं शर्तो में संशोधन का अधिकर कार्यालय संयुक्त संचालक नगर तथा ग्राम निवेश जबलपुर का होगा।
14. किसी भी विवाद की स्थिति में न्यायालयीन कार्य क्षेत्र जबलपुर माना जायेगा।
15. निविदा के साथ उपरोक्त वर्णित नियम एवं शर्ते वाहन प्रदाय करने की दिनांक से लागू होंगे।
16. निविदा कि साथ रूपये 2000/- (शब्दो में रूपये दो हजार मात्र) का बैंक ड्राफट या नगद कार्यालय में जमा करना होगा, जो निविदा खुलने पर लौटाई जायेगी।
17. कार्य क्षेत्र संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश भोपाल द्वारा निर्देशित रहेगा, जिसके लिये वाहन किराये पर लिया जा रहा है।

(आर0के0सिंह)
संयुक्त संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश
जबलपुर